फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– सुशीला पुत्री भोलाराम –::बनाम::– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :–133/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
.23	प्रार्थी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प गरनिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा– गरनिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 215, 216 व भाकरवासनी के खा. सं. 65 से 68, 106 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुशिया पुत्री भोलाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सुशीला पुत्री भोलाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम सुशिया पुत्री भोलाराम के स्थान पर सुशीला पुत्री भोलाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रशासन गांवो के संग अभियान गरनिया में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा– गरनिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 215, 216 व भाकरवासनी के खा.सं. 65 से 68, 106 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम सुशिया पुत्री भोलाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में सुशीला पुत्री भोलाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम सुशिया पुत्री भोलाराम के स्थान पर सुशीला पुत्री भोलाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– गरनिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 215, 216 व भाकरवासनी के खा. सं. 65 से 68, 106 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि सुशिया पुत्री भोलाराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " सुशीला पुत्री भोलाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली बाद [illegible] दफ्तर [illegible] भण्डार जमा हो। SDO	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.31 12:24:01 IST
Reason: SelfAttested